

अतिथि शिक्षक आवेदकों हेतु महत्वपूर्ण सूचना x

★ अतिथि शिक्षक आवेदन हेतु पोर्टल पर आवेदकों के आवेदन एवं संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन हेतु निम्नानुसार तिथि में वृद्धि कि जाती है :-

- 1.) आवेदकों द्वारा अपनी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित दस्तावेज अपलोड दिनांक 23.05.2025 तक करना।
- 2.) आवेदक की जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर ई-केवाईसी अनलॉक कर अपडेट दिनांक 23.05.2025 तक करना।
- 3.) आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन कार्य दिनांक 24.05.2025 तक करना।
- 4.) पूर्व से पंजीकृत आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर बन्द हो जाने की स्थिति में मोबाईल नम्बर परिवर्तित दिनांक 23.05.2025 तक करना।
- 4.) जिन आवेदकों द्वारा म.प्र. शिक्षक पात्रता 2018 एवं उसके उपरांत उत्तीर्ण की है, ऐसे आवेदकों द्वारा दिव्यांग श्रेणी का चयन (विकल्प) को दर्ज किया गया है। उनके जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र जिसमें दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

आदेशानुसार,
आयुक्त (लोक शिक्षण),
स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

आवेदक प्रोफाइल :-

- 1.) आवेदक अपनी प्रोफाइल में म.प्र. शिक्षक पात्रता परीक्षा की